मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2004 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 5 मार्च, 2004 (फाल्गुन 15, 1925)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री गोपाल भार्गव, कृषि मंत्री, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 की धारा 40 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर की वैधानिक आडिट रिपोर्ट वर्ष 2001-2002 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री बृजेन्द्र प्रताप, सुश्री कुसुम सिंह, श्री काशीप्रसाद बागरी, सदस्य, पन्ना जिले के ग्राम हथकुरी में एक परिवार के सदस्यों की हत्या होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री लालसिंह आर्य, सदस्य, भिण्ड जिले के गोहद क्षेत्र में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री नानालाल पाटीदार, सदस्य, सीतामऊ क्षेत्र में मोटर साइकिलें लूटने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री रामलाल रौतेल, सदस्य, शहडोल नगर स्थित प्री मैट्रिक छात्रावास में एक छात्र की मृत्यु होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य, संजय गांधी ताप विद्युत संयंत्र बिरसिंहपुर में विद्युत उत्पादन के लिये कोयला ढुलाई का अधिक भुगतान किये जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री अखण्ड प्रताप सिंह यादव, सदस्य, टीकमगढ़ जिला रोगी कल्याण निधि की राशि का दुरुपयोग होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) सर्वश्री गिरिजाशंकर शर्मा, मधुकर हर्णे, सदस्य, होशंगाबाद जिले के तवा एवं नर्मदा नदी से रेत के ठेके दिये जाने में अनियमितता की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री लाल सिंह आर्य, सदस्य, भिण्ड जिले के गोहद क्षेत्र में घोषित विद्यालय न खोले जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्यमंत्री स्कूल शिक्षा का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री बंशमणि प्रसाद वर्मा, सदस्य, सीधी जिले के ग्राम मेढ़ोली में एन.सी.एल. परियोजना जयन्त के सुरक्षाकर्मियों द्वारा एक व्यक्ति को गोली मारकर घायल किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री मनोहरलाल राठौर, सदस्य, हरदा जिले के टिमरनी नगर पंचायत अधिकारी द्वारा निर्माण कार्यों में अनियमितता किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले में रासायनिक खाद की कालाबाजारी किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री रामदयाल प्रभाकर, सदस्य, डबरा सुगर मिल द्वारा सेवढ़ा क्षेत्र के कृषकों को गन्ने के मूल्य का भुगतान न किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य, प्रदेश की सीमाओं पर स्थित बैरियर नाकों पर ट्रकों से अवैध वसूली किये जाने की ओर परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) श्री धुलजी चौधरी, सदस्य, रतलाम जिले में फसल बीमा की राशि न मिलने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) श्री गोविंद सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले में सिंचाई हेतु बिजली न मिलने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) श्री राजेश पटेल, सदस्य, रायसेन जिले के बाड़ी एवं पारतलाई क्षेत्र में पत्थरों के अवैध उत्खनन होने की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) श्री अखण्ड प्रताप सिंह यादव, सदस्य, टीकमगढ़ स्थित राज्य परिवहन निगम द्वारा बसें बंद किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) श्री राजेश पटेल, सदस्य, रतलाम जिले में राजस्थान परिवहन निगम की बस में लूट-पाट किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के निवाड़ी जनपद पंचायत अन्तर्गत शिक्षकों को वेतन न मिलने की ओर राज्यमंत्री स्कूल शिक्षा का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(20) श्री ध्यानेन्द्र सिंह, सदस्य, ग्वालियर जिले के मुरार क्षेत्र में हैण्डपंप खराब होने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(21) डॉ. सुनीलम्, सदस्य, बैतूल जिले में एकीकृत बाल विकास परियोजना शाहपुर अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र को बंद किये जाने की ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(22) श्री राजेश पटेल, सदस्य, भोपाल स्थित बाल संप्रेषण गृह जहांगीराबाद से बंदी किशोरी गायब होने के कारण अधीक्षिका के विरुद्ध कार्यवाही नहीं किये जाने की ओर समाज कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(23) श्री बृजेन्द्र तिवारी, सदस्य, ग्वालियर जिले के गिर्द क्षेत्र में ओला वृष्टि से फसलें नष्ट होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(24) श्री नारायण त्रिपाठी, सदस्य, सतना जिले के हिनौती में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(25) श्री हरिवल्लभ शुक्ला, सदस्य, पोहरी क्षेत्र के अनेक ग्रामों में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(26) डॉ. सुनीलम्, श्री हिम्मत कोठारी, सदस्य, छतरपुर जिले के गौरीहार जनपद अध्यक्ष की दोनों आंखें निकाली जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(27) डॉ. गोविन्द सिंह, श्री अखण्ड प्रताप सिंह यादव, सदस्य, छतरपुर एवं टीकमगढ़ जिले में पोषण आहार के तहत स्वादहीन पंजीरी का वितरण होने की ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(28) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह, सदस्य, भिण्ड जिले में घोषित समयानुसार बिजली न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(29) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह, सदस्य, भिण्ड जिले में सिंचाई नलकूप बंद होने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्यमंत्री जल संसाधन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(30) श्रीमती सरोज बच्चन नायक, डॉ. सुनीलम्, श्री मोती कश्यप, सदस्य, प्रदेश के कुष्ठ कर्मियों की सेवाएं समाप्त किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(31) श्री ध्यानेन्द्र सिंह, सदस्य, ग्वालियर जिले के उटीला क्षेत्र में विद्युत संकट से उत्पन्न स्थिति की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(32) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य, राजगढ़ जिले की खिलचीपुर तहसील अंतर्गत कृषकों को ज्वार मक्का का समर्थन मूल्य न मिलने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(33) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य, शिवपुरी जिले के दतिया निवासी ग्रामीणों का डकैतों द्वारा अपहरण किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(34) डॉ. सुनीलम्, सदस्य, बैतूल जिले की सावनेर सुगर मिल द्वारा कृषकों से शेयर की राशि ली जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(35) श्री राजेन्द्र शुक्ल, सदस्य, रीवा नगर में पेयजल पाईप जीर्ण-शीर्ण होने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(36) श्री बृजेन्द्र तिवारी, सदस्य, ग्वालियर जिले के गिर्द क्षेत्र में जंगली गायों द्वारा फसलों को नष्ट किये जाने की ओर पशुपालन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(37) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम किसरौली में एक महिला के साथ बलात्कार होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(38) श्री राजनारायण सिंह पुरनी, सदस्य, इंदिरा सागर एवं ओंकारेश्वर परियोजना के प्रभावितों को पुनर्वास की सुविधा न दिये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(39) श्री राजेश पटेल, सदस्य, विदिशा जिले की बेतवा नदी में सोम डिस्टिलरी द्वारा प्रदूषित जल छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(40) श्री अखण्ड प्रताप सिंह यादव, सदस्य, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई राशि से किताबों एवं उपकरणों की खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(41) डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री रामलखन शर्मा, राजेश पटेल, सदस्य, झाबुआ जिले के अलीराजपुर में एक दुकानदार के साथ मारपीट किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(42) सर्वश्री नागेन्द्र सिंह (गुढ़), गिरीश गौतम, नारायण त्रिपाठी, सदस्य, रीवा शहर स्थित नदी नालों पर अवैध भवनों का निर्माण होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(43) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य, रीवा जिले के सेमरिया में एक व्यक्ति पर प्राण घातक हमला होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(44) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, श्योपुर जिले के ग्राम धामनी से तीन व्यक्तियों का अपहरण होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(45) श्री के.पी. सिंह, सदस्य, शिवपुरी जिले के ग्राम रही के पुरा में एक आदिवासी परिवार पर हमला होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(46) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री रामलखन शर्मा, सदस्य, रीवा जिले के रघुनाथगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में पोलियो की दवा पिलाने से दो बच्चियों की मौत होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(47) श्री बंशमणि प्रसाद वर्मा, सदस्य, नगरपालिक निगम सिंगरौली में निर्माण कार्य हेतु निविदा आमंत्रित किये जाने में अनियमितता होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(48) कुंवर विजय शाह, श्री गिरीश गौतम, सदस्य, कटनी पुलिस द्वारा पकड़े गये ठग गिरोह के सरगना के विरुद्ध जांच कराई जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिका की प्रस्तुति

श्री हमीद काजी, सदस्य, सहकारी सूत मिल मर्यादित बुरहानपुर के श्रमिकों के वेतन एवं अन्य स्वत्वों का भुगतान कराये जाने के संबंध में याचिका प्रस्तुत करेंगे.

निर्धारित समय

5. वर्ष 2003-2004 की द्वितीय अनुपूरक मांगों पर मतदान

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

" दिनांक 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1,3,6,8,10,11,12,14,17,23,25,27,35,36,41,44,45,47,48,51,56,58,61,64,65,66,67,79,80,81 तथा 94 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर चार सौ अड़तालीस करोड़,

2 घन्टे सड़सठ लाख, चौबीस हजार चार सौ रुपये की अनुपूरक राशि की जाय."

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2004 (क्रमांक 6 सन् 2004) का पुरःस्थापन * करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

7. वर्ष 2004-2005 के लेखानुदान की मांगों पर मतदान

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

"दिनांक 1 अप्रैल, 2004 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष 2004-2005 के एक भाग अर्थात् प्रथम चार माह तक की अवधि के प्राक्कलित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को राज्य की संचित निधि में से कुल अड़सठ सौ सैंतालीस करोड़, तिरेसठ लाख, सत्तानवे हजार रुपये की धनराशि जो पृथकतः वितरित लेखानुदान की मांगों के स्तंभ 6 में दी गई राशियां विनियोगों की अनुसूची के स्तंभ 2 में निर्दिष्ट सेवाओं से संबंधित मांगों के लिये सम्मिलित हैं, लेखानुदान के रूप में दी जावें."

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2004 (क्रमांक 5 सन् 2004) का पुरःस्थापन * * करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

9. अशासकीय संकल्प

50 मि,

(1) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

" सदन का यह मत है कि प्रदेश में ग्रामीण स्तर पर मशरूम एवं आयुर्वेदिक औषधियों की खेती हेतु प्रोत्साहन के साथ-साथ प्रशिक्षण, तत्संबंधी बीज एवं अनुदान शासन द्वारा दिया जावे."

50 मि.

(2) सर्वश्री बंशमणि प्रसाद वर्मा, छत्रपति सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

" यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि हावड़ा से जबलपुर चलने वाली शक्तिपुंज ट्रेन को भोपाल तक बढ़ाई जाकर उसके स्टापेज सीधी जिले के बरगवां व भदौरा में किये जावे."

50 मि.

(3) श्री रविन्द्र महाजन, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

" सदन का यह मत है कि प्रदेश में पुरातत्व महत्व के महल, किले, मंदिरों, मस्जिदों को राष्ट्रीय धरोहर मानकर पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किया जावे."

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 4 मार्च, 2004

---

* अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात् .

** लेखानुदान की मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात् .